Details for registration number : PMOPG/D/2026/0053770

Name Of Complainant	Shri JAI BHAGWAN
Date of Receipt	01/01/2026
Received By Ministry/Department	Prime Minister's Office
Grievance Description	

PG/RNJ

Current Status	Case closed
Date of Action	11/05/2026
Remarks	

शिकायती प्रकरण में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09 मई 1997 में विहित व्यवस्थानुसार प्रकरण में नियुक्ति अनुभाग 5 के पत्र दिनांक 05.02.2026 द्वारा शिकायतकर्ता से शिकायतें शपथपत्र के से कराने का अनुरोध किया गया है शपथ पत्र के से शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी

Rating	3
Rating Remarks	Others-Not Satisfied Fake Report atteched from the department side and complaint closed can Appeal No .....

Officer Concerns To

Officer Name	Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)
Organisation name	Government of Uttar Pradesh
Contact Address	Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address	arvind.12574@gov.in
Contact Number	05222226350

Pgportal.gov.in

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS
& PUBLIC GRIEVANCES

CPGRAMS

Language : English

Sign In

Grievance Status for registration number : PMOPG/D/2026/0053770

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Shri JAI BHAGWAN

Date of Receipt

01/01/2026

Received By Ministry/Department

Prime Minister's Office

Grievance Description

PG/RNJ

Grievance Document

PDF

Current Status

Under process

Date of Action

25/03/2026

Officer Concerns To

Officer Name

Dilip Kumar Jha (Deputy Secretary)

Organisation name

Personnel and Training

Contact Address

31010 , DOPT, Kartavya Bhavan - 03, New Delhi

Email Address

dk.jha[at]nic[dot]in

Contact Number

01124010499

← Back To Home Page | Print

This site is designed, developed & hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & IT (MeitY), Government of India and Content owned by Department of Administrative Reforms & Public Grievances.

Portal is Compatible with all major Browsers like Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari etc.
Best Viewed in 1440 x 900 resolution

Disclaimer | Website Policies | Web Information Manager | Version 7.0.01092019.0.0, Copyright © 2026
Last Updated On: 02-03-2026 | Total Visitors : 7016771 *(since 19-01-2024)*

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
01 JAN 2026
डाक अनुभाग / DAK SECTION

136

सेवा में,

मा0 नरेंद्र मोदी जी

प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:-आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा व डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी एवं पी0सी0एस0 अधिकारी श्री रामकिशन शर्मा श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार द्वारा की गई लूट, गबन, भ्रष्टाचार, माफियाओं के साथ गठजोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी जालसाजी कूटरचना करके फर्जी रिपोर्ट बनाने/बनवाने आदि अनेक आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत/ प्रमाण आपको उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही ? के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन यह है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र, जिसके साथ एक पुस्तक "अफसरशाही एक अनसुना सच" संलग्न करके दिनांक 13-12-2025 में रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको प्रेषित की गई थी, जो दिनांक 16-12-2025 में आपको प्राप्त हो चुकी हैं। इस पुस्तक में इन अधिकारियों के द्वारा अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से उनके गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के सभी लिखित प्रमाण/सबूत आपको उपलब्ध करा दिए थे। यह सभी लिखित सबूत/प्रमाण आपको भेजी गई पुस्तक "अफसरशाही एक अनसुना सच" में मौजूद हैं। इस पुस्तक में दिए गये QR CODES को SCAN करके आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा इन्हें DOWNLOAD करके इनका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं।

P-96
CS-U.P.
+
P-16
DOPT

इन अधिकारियों द्वारा किए गए उपरोक्त लिखित अपराधों के सभी सबूत/ प्रमाण आपको प्राप्त होने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। श्री कौशलराज शर्मा इस समय दिल्ली जल बोर्ड के सी0ई0ओ0 हैं तथा डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी इस समय उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। श्री राकेश कुमार इस समय उत्तर प्रदेश में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा श्री रामकिशन शर्मा एवं श्री उमेश मिश्र सेवानिवृत हो चुके हैं। आपके द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इन अधिकारियों द्वारा तो भ्रष्टाचार के साथ - साथ अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के

6020398

बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने सहित अनेक आपराधिक कार्य किये गए हैं और इन सभी के लिखित सबूत /प्रमाण मौजूद हैं जो आपको प्राप्त कराये जा चुके हैं फिर इनके विरुद्ध कार्यवाही करने मे देरी क्यों की जा रही है ? यह कैसी विडंबना पूर्ण बात है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध प्रमाण है तो कार्यवाही निश्चित रूप से होगी दूसरी तरफ इन अधिकारियों के विरुद्ध इतने लिखित सबूत / प्रमाण है और वह आपको उपलब्ध कराये जा चुके हैं उसके बावजूद यह अधिकारीगण अपने पदों पर सुशोभित है और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाहियां नहीं की जा रही है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इन अधिकारियों के द्वारा किए गए उपरोक्त अपराधो जिनके सभी लिखित सबूत/प्रमाण आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं, इनके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में अपराधवार पृथक- पृथक आवश्यक कार्यवाही, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि अंकित कराते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें, तथा इस प्रकरण के सभी निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने का कष्ट करें, और की /कराई गई कार्यवाही से प्रार्थी को भी सूचित कराने का कष्ट करें।आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :–29.12.2025

संलग्नक:- प्रार्थना पत्र दिनांक 13-12- 2025

व उसकी प्राप्ति का स्टेटस

प्रार्थी

जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान

निवासी ग्राम- बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना-

खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, पिन - 251 201

मोबाइल नंबर 863068 2756